though after customs clearance, and the recovery of customs duty would have had the effect of recovering duty twice over, and also because this would have acted as an inhibiting factor on exports, it was decided by the Government at the level of the Minister on 19th March, 1977 that the Company be exempted from payment of customs duty equal to the central excise duty.

As the demand for customs duty has thus been extinguished, it cannot be said that the Company has defrauded the country to the extent of Rs. 90 lakhs in foreign exchange.

(b) In their original application dated 27th April, 1974, the two companies had proposed a purchase price of Rs. 255 lakhs for transfer of the the assets and liabilities of the Indian Branch of the ILTDC as at 31st March, 1973. Subsequently, on 10th May 1975, the ITC submitted a revised application suggesting a purchase price of Rs. 255 lahs for transfer of the business of ILTDC as at 31st March, 1975, taking into account the profits of Rs. 95.55 lakhs for the years 1973-74 and 1974-75. In their final application dated 31st July 1975, based on which the Government approval was given on 24th February, 1976, the ITC suggested a purchase price of Rs. 257 lakhs, together with repatriation of 2/3rds of the profits of 1973-74 and 1974-75 amounting to Rs. 63 lakhs. After considering the networth and profit earning capacity value of the business, the Government approved of a purchase price of Rs. 215 lakhs for transfer of the business as at 31st March 1975, together with repatriation of the profits of 1973-74 and 1974-75 amounting to Rs. 63 lakhs. The increase in the purchase price between 31st March, 1973 and 31st March 1975, was mainly due to the fact that there was no contingent liability in respect of leaving/retiring gratuity as at 31st March 1975, because of the setting up of an approved trust fund for taking care of this liability during 1974-75.

(c) ITC and ILTDC had the same foreign shareholders at that time.

(d) The order for exempting the Company from payment of the customs duty was passed by Shri Pranab Mukherjee the then Minister of Revenue and Banking on the file after the matter was examined by the Department concerned. Whether this was done by him under verbal orders of the then Prime Minister is not known.

Incentives to Private German Investment for setting up Industries in India

781. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether the West German Foreign Minister had recently visited Delhi and spoke of the need for more incentives for the private German investment to set up industries in India; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The F. R. G. Economic Mission, which visited India along with the Foreign Minister of FRG, highlighted the potential for greater collaboration between the countries in the industrial field and referred to some factors inhibiting private German investment in India. The discussions were of a broad and general nature. It has been agreed during the discussion between the two Foreign Ministers that an Expert Group of officials from German Ministries and Departments concerned might discuss such obstacles as may be standing in the way of enlarging and intensifying Indo-German economic cooperation.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को वित्तीय सहायता का आवंटन

782. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल:** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के भिन्न-भिन्न राज्यों को

केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक राज्यवार कितनी सहायता दी जा चुकी है ; और

(ग) राज्यों को सहायता देने का क्या मानदंड अथवा सूत्र हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). पांचवीं आयोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए राज्यों के लिए कुल केन्द्रीय सहायता 6,000 करोड़ रुपए रखी गयी है । इसमें से 450 करोड़ रुपए का आवंटन जनजाति उप-आयोजना, पर्वतीय क्षत्र कार्यक्रमों तथा उत्तर-पूर्व परिषद् की योजनाओं के लिए और 100 करोड़ रुपए का आवंटन बाह्य सहायता प्राप्त राज्य आयोजनागत परियोजनाओ के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए किया गया है । 5450 करोड़ रुपए की शष राशि का आवंटन राज्यों में उस आधार पर किया गया है जिसे गाडगिल सूत्र के नाम से जाना जाता है । इस सूत्र के अनुसार, असम, नागालैण्ड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अन्य उत्तर-पूर्वीय राज्यों तथा सिक्किम के उनके अनुमोदित आयोजनागत परिव्यय का वित्तपोषण करने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मुश्त आवंटन किया जाता है । शष चौदह राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :—

1. जनसंख्या	60%	1971 की जनगणना के आंकड़े
2. प्रति व्यक्ति राज्य की आय	10%	1970–73 के लिए चालू कीमतों पर औसत प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा बताया गया है ।
3. कर सम्बन्धी प्रयत्न	10%	1973–74 की राज्य की कर सम्बन्धी प्राप्तियां और ऊपर (2) के अन्तर्गत दिये अनुसार प्रति व्यक्ति आय ।
4. सिंचाई और बिजली परियोजनायें	10%	ऐसी जारी मुख्य सिंचाई और बिजली योजनाओं पर संशोधित पांचवीं आयोजनागत परिव्यय जिनकी अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए तथा इससे ऊपर हो तथा 1973–74 के अन्त तक कम से कम 10 प्रतिशत व्यय हो ।
5. विशेष समस्यायें	10%	

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिश के आधार पर पिछले वर्ष यह निर्णय किया गया था कि उपर्युक्त मानदंड के अनुसार 8 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का आवंटन परिवार नियोजन में किये गये कार्य के आधार पर विशिष्ट

रूप से निर्धारित किया जाएगा । यह सूत्र पिछले वर्ष के दौरान परिवार नियोजन से सम्बन्धित कार्य के आधार पर 1977-78 से प्रभावी है ।

2. अब तक राज्यवार दी गयी केन्द्रीय सहायता की रकम का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दे दिया गया है ।

विवरण

पांचवी पंचवर्षीय आयोजना

	(करोड़ रुपयों में) 14-6-77 तक राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता
1. आन्ध्र प्रदेश .	256.39
2. असम . .	161.91
3. बिहार . .	304.71
4. गुजरात . .	162.46
5. हरियाणा . .	76.16
6. हिमाचल प्रदेश .	78.73
7. जम्मू और काश्मीर	286.20
8. कर्नाटक . .	158.87
9. केरल . .	142.20
10. मध्य प्रदेश .	221.81
11. महाराष्ट्र . .	192.70
12. मणिपुर . .	38.18
13. मेघालय . .	37.56
14. नागालैण्ड .	35.83
15. उड़ीसा . .	173.06
16. पंजाब . .	81.20
17. राजस्थान .	190.10
18. सिक्किम . .	21.93
19. तमिलनाडु .	214.08
20. त्रिपुरा .	34.07
21. उत्तर प्रदेश .	550.00
22. पश्चिम बंगाल .	171.79
जोड़ सभी राज्य .	3589.94

जयगढ़ किले में खुदाई कार्यों पर हुआ व्यय

783. श्री नाथू सिंह : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयगढ़ किले में किये गये खुदाई कार्यों के दौरान कोई खजाना मिला था ; और

(ख) उस खुदाई कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।